रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 1974/माघ 9, 1895

No. 48] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 1974/MAGHA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 29th January 1974

S.O. 71(E)/18FB/IDRA/74.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 14(E), dated the 3rd January, 1974, the management of the industrial undertaking known as Messrs Hind Cycles Limited, Bombay (Ghaziabad unit), (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of 2nd January, 1979;

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, Bicycles and Bicycle chains industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. F. 2/16/73-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1974

का० आ० 71(अ)/18एफबी/आई डी आर ए/74.—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 14(ई) तारीख 3 जनवरी, 1974 द्वारा, मैसर्स हिन्द साईकलस लिमिटेड, मुम्बई (गाजियाबाद एकक), (इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्धतन्त्र उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क के अधीन, 2 जनवरी, 1979 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की पांच वर्ष की अवधि के ले लिया गया है ;]

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में अनुसूचित उद्योग, अर्थात् साईसिकल्स और बाईसिकल्स जंजीर उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी को रोकने की दृष्टि से साधारण जनता के हितों में ऐसा करना आवश्यक हो गया है :

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड 1(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती है कि इस आदेश के जारी करने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रतिभूति दायित्वों से भिन्न) सभी संविदाएं, सम्पत्ति के हस्तांतरणपत्र, करार, व्यवस्थापन, पंचाट, स्थायी आदेश या अन्य लिखतें, जिनमें उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक

उपक्रम में स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो सकेंगे एक वर्ष तक निलम्बित रहेंगे और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन उद्भूत या उत्पन्न होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि पर्यन्त निलम्बित रहेंगे।

[सं० फा० 2/16/73-सी पू सी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974